

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

2

3

23

अभिलेख उपस्थापित।



तारा देवी पति स्व० लखन राम, निवास स्थान ग्राम-सिंधानी, पोस्ट-कोर्डा, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटागापुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-सिंधानी, थाना नं०-153, खाता संख्या-59, प्लॉट संख्या-1697, रकबा-0.06 एकड़ (06 डिसमिल) (छः डिसमिल) भूमि सोबू कुमारी पति पवन कुमार राजक, निवास स्थान ग्राम-पेसरा, पोस्ट-गंगपाचो, थाना-बरकट्टा, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-374/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 1646/रा० दिनांक 08.04.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1372 दिनांक 02.09.2022 से जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत बाहु गोड़ाइत हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकबा 4.81 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकबा 4.81 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-42/III में धमन गोड़ाइत के नाम से 2005-06 तक का लगान रसीद निर्गत है। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकबा 4.75 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/ सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।

प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को पीला रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटागापुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और घटाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई दिव्याणी तारीख
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में तारा देवी पति स्व० लखन राग, निवास स्थान ग्राम-सिंधानी, पोस्ट-कोर्रा, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग को छोट्यनागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-सिंधानी, थाना नं०-153, खाता संख्या-59, प्लॉट संख्या-1697, रकबा-0.06 एकड़ (06 डिसमिल) (छः डिसमिल) भूमि सोनु कुमारी पति पवन कुमार रजक, निवास स्थान ग्राम-पेशरा, पोस्ट-गंगपाचो, थाना-बरकट्टा, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">  अपर समाहर्ता, हजारीबाग। </p> <p style="text-align: center;">  अपर समाहर्ता, हजारीबाग। </p>	<p>उप</p> <p>प्रेषक.</p> <p>सेवा</p>